

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2019/माघ 16, 1940 No. 51] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2019/MAGHA 16, 1940

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2019

सं.भा.बा.प.-34(41)/2018-मेड./170045.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में पुन: संशोधन करने के लिए, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:-

- 1. (i) इन विनियमों को "स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2019" कहा जाएगा।
 - (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में "चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला–पात्रता मापदंड" शीर्षक के अंतर्गत खंड 4(3) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले का पात्र होने के लिए किसी अभ्यर्थी को भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीव-विज्ञान (या वनस्पित-विज्ञान और प्राणी-विज्ञान)/ जीव-प्रौद्योगिकी तथा अंग्रेजी विषयों में अलग-अलग उत्तीर्ण होना चाहिए और विनियम 4 के खंड (2) में यथा उल्लिखित अर्हक परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान (या वनस्पित-विज्ञान और प्राणी-विज्ञान)/जीव प्रौद्योगिकी में कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए और इसके अलावा एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए "राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा" की मेरिट सूची में आना चाहिए। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में अर्हक परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान (या वनस्पित-विज्ञान और प्राणी-विज्ञान)/ जीव प्रौद्योगिकी में कुल मिलाकर प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक 50% के बजाए 40% होंगे। विकलांग व्यक्ति के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विशिष्ट विकलांगता वाले अभ्यर्थियों के संबंध में अर्हक परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान/ (या वनस्पित-विज्ञान और प्राणी-विज्ञान) जीव प्रौद्योगिकी में कुल मिलाकर न्यूनतम अंक 50% के बजाए 45% होंगे।

बशर्ते यह कि किसी ऐसे अभ्यर्थी, जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठा है, जिसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है, को राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति अनंतिम रूप से दी जा सकती है और एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के

825 GI/2019 (1)

लिए चयन हो जाने की स्थिति में उसे उस पाठ्यक्रम में दाखिल नहीं किया जाएगा, जब तक वह विनियम 4 के अंतर्गत पात्रता मापदंड पूरा नहीं कर लेता।

सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में, वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5% सीटें, 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' की मेरिट सूची के आधार पर, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार बैंचमार्क विकलांगताओं वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में दी गई "विशिष्ट विकलांगता" परिशिष्ट 'छ' पर संलग्न है और मेडिसिन पाठ्यक्रम में पढ़ने हेतु विकलांगता वाले अभ्यर्थियों की पात्रता, परिशिष्ट 'ज' के अनुसार होगी। यदि किसी श्रेणी विशेष में, विकलांग व्यक्तियों के लिए आरिक्षित सीटें, अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती हैं, तो इन सीटों को संबंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल कर लिया जाएगा।

3."स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली 1997" में परिशिष्ट 'च' की सातवीं पंक्ति के पश्चात निम्नलिखित पंक्ति जोड़ी जाएगी:

क्र. सं.	दाखिले का कार्यक्रम	केन्द्रीय काउंसलिंग		राज्य काउंसलिंग	
		अखिल भारतीय कोटा	मानित + सी1		
7 क.	शैक्षिक सत्र का प्रारंभण	1 अगस्त			

डॉ. संजय श्रीवास्तव, महासचिव

[विज्ञापन-/III/4/असा./525/18]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली, नामत: "स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियमावली 1997" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 4 मार्च, 1997 की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग-III खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003, 01.03.2004, 20.10.2008, 15.12.2008, 22.12.2008, 25.03.2009, 19.04.2010, 07.10.2010, 21.12.2010, 15.02.2012, 29.12.2015, 05.08.2016, 21.09.2016, 10.03.2017, 04.07.2017, 23.01.2018, 06.02.2018 और 21.05.2018 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

<u>परिशिष्ट -</u> "ज"

एमबीबीएस में दाखिले के संबंध में 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' के अंतर्गत "विशिष्ट विकलांगताओं " वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशानिर्देश

टिप्पणी:

- 1. "विकलांगता का प्रमाणपत्र", 15 जून, 2017 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियमावली, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा।
- 2. किसी व्यक्ति में "विशिष्ट विकलांगता" की सीमा, 5 जनवरी, 2018 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन)सशक्तीकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत शामिल किए गए किसी व्यक्ति में विशिष्ट विकलांगता की सीमा आंकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार आंकी जाएगी।
- 3. विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40% (वैंचमार्क विकलांगता) होनी चाहिए।
- 4. "शारीरिक रूप से विकलांग" (शा.वि.) शब्द के बजाए 'विकलांग व्यक्ति' (वि.व्य.) शब्द का इस्तेमाल किए जाएगा।

क्र.सं.	विकलांगता	विकलांगताओं का	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेंज			
	प्रकार	प्रकार		मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं	
1.	शारीरिक विकलांगता	क. विनिर्दिष्ट विकलांगताओं सहित गतिक विकलांगता (क से च)	क. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति* ख. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात** ग. बौनापन घ. मांसपेशीय डिस्ट्राफी ङ. तेजाब के प्रहार से पीडित च. अन्य*** जैसे अंगविच्छेदन, पोलियोम्येलाइटिस आदि	40% से कम विकलांगता	40-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता	
			चाहिए तथा तदनुरूपी अनु **दृष्टि, श्रवण की संज्ञानात्म देखी जानी चाहिए।	दन की क्षति, अंगविच्छेद और आंखों की अंतर्ग्रस्तता पर ध्यान दिया जाना नुशंसाएं देखी जानी चाहिए। त्मक कार्य की क्षति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और तद्नुरूपी अनुशंसा क लिए पात्र माने जाने के लिए दोनों हाथों का, अक्षुण्ण संवेदनाओं, पर्या			
		ख. दृष्टि क्षति (*)	क. नेत्रहीनता ख. निम्न दृष्टि	40% से कम विकलांगता (अर्थात श्रेणी - '0(10%)', '। (20%)' और '।। (30%')	- -	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता (अर्थात श्रेणी ।।। और इससे ऊपर	
		ग. श्रवण क्षति@	क. बहरा ख. कम सुनाई देना	40% से कम विकलांगता	-	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता	
			पढ़ने के लिए पात्र बनाया विकलांगता को आधुनिक सहायता से 40% के बैंचमा @ 40% से अधिक की श्र लिए पात्र बनाया जा सक विकलांगता को सहायक उप	दृष्टि क्षति/ दृष्टि <u>विकलांगता</u> वाले व्यक्तियों को स्नातक चिकित्सा या जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता ह क निम्न दृष्टि सहायक उपकरण जैसे कि टेलीस्कोप/ मैग्नीफायर इ हमार्क से कम के स्तर तक लाया जाए। अवण विकलांगता वाले व्यक्तियों को स्नातक चिकित्सा शिक्षा से सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है उपकरणों की सहायता से 40% के बैंचमार्क से कम के स्तर तक ला पास 60% से अधिक का वाक् विवेक स्कोर होना चाहिए।			
		घ. वाक् एवं भाषा विकलांगताएं \$	आर्गनिक/तंत्रीय कारण	40% से कम - विकलांगता		40% के बराबर या इससे कम विकलांगता	

		\$ यह प्रस्ताव दिया जाता है कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में पढ़ने का पात्र होने के लिए दाखिले हेतु वाक् बुद्धिमता प्रभावित (एस आई ए) स्कोर 3 से अधिक नहीं होगा। इस स्कोर से अधिक वाले व्यक्ति एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र नहीं होंगे। 40% तक वाचाघात लब्धि वाले व्यक्ति एमबीबीएस पाठ्यक्रम में पढ़ने के पात्र हो सकते हैं परंतु इसके अधिक वे न तो एमबीबीएस पाठ्यक्रम में पढ़ने के पात्र होंगे और न ही उन्हें कोई आरक्षण प्राप्त होगा।					
2. बौद्धिक विकलांगता	ਕਿ ^ਹ ਕਿ ^ਹ ਤਿ ਹ ਤਿਹ	क. विशिष्ट ज्ञानार्जन विकलांगताएं (बोधात्मक विकलांगता, डिस्लेक्सिया डिस्केलकुलिया डिस्स्प्राक्सिया और विकासात्मक एल्फासिया)	# वर्तमान में एस पैमाना नहीं है, इ	पीएलडी की गंभीरता आंकने के वि सिलिए 40% का कट ऑफ, मन मकी आवश्यकता है। 40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता- परंतु चयन, रिमेडिएशन सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी/उपकरणों/ विशेषज्ञ पैनल द्वारा किए गए अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की सहायता से मूल्यांकन की गई ज्ञानार्जन सक्षमता पर आधारित होगा।	•		
			ख. आत्म-विमोह स्पैकट्रम विकृति	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता अस्परजर सिंड्रोम (आईएसएए) के अनुसार 40%- 60% विकलांगता, जहां व्यक्ति को किसी विशेषज्ञ पैनल द्वारा एमबीबीएस के लिए उपयुक्त माना जाता है।	मानिसक वीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।	60% के बरावर या इससे अधिक विकलांगता या संज्ञानात्मक/ बौद्धिक विकलांगता की मौजूदगी और/ या यदि व्यक्ति को विशेषज्ञ पैनल द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है।	
3.	मानसिक व्यवहार		मानसिक रोग	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगताः 40% से कम (आईडीईएएस के अंतर्गत)	मानिसक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या यदि व्यक्ति को अपनी ड्यूटियां करने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। """मेडिसिन में प्रैक्टिस करने के लिए फिटनेस की परिभाषा के लिए मानक तैयार किए जाए जिनका जैसे कि	

						भारत के अलावा अन्य देशों के अनेक संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।
4.	आगे उल्लेखित के कारण विकलांगता	क. चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां	i. बहुल ऊतक दृढ़न ii. पार्किनसेनिज्म	40% से कम विकलांगता	40%-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
		ख. रक्त विकृतियां	i. हीमोफीलिया ii. थैलिसीमिया iii. सिक्कल सैल रोग	40% से कम विकलांगता	40%-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
5.	मूक बधिरता सहित बहुल विकलांगताएं		उपर्युक्त में से एक से अधिक विनिर्दिष्ट विकलांगताएं	अनुशंसाओं में निर्ण के एक घटक के बौद्धिक विकलांगत चाहिए जब किसी है, उत्पन्न होने व सरकार द्वारा ज अधिसूचित संयोज (जहां क = विकल % का निम्न मूल्य किया गया हो। इ मामलों में किया	की मौजूदगी के संबंध में अलग त्य लेते समय उपर्युक्त सभी नामत रूप में दृष्टि, श्रवण, वाक् और ा और मानसिक विकलांगता पर व्यक्ति में एक से अधिक असमर्थ ाली विकलांगता की संगणना क ारी की गई संबंधित राजपत्र नकारी फार्मूले की अनुशंसा की जा	ः बहुल विकलांगता भाषा विकलांगता, विचार किया जाना कारी स्थिति मौजूद रने के लिए, भारत अधिसूचना द्वारा ती है: ब = विकलांगता के के लिए परिकलित विकलांगताओं वाले ा में मौजूद विशिष्ट

BOARD OF GOVERNORS IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2019

No. MCI-34(41)/2018-Med./170045.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", namely: -

- 1. (i) These Regulations may be called the "Regulations on Graduate Medical Education(Amendment), 2019.
 - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", under the heading of "Admission to the Medical Course-Eligibility Criteria" clause 4(3) shall be substituted as under:

To be eligible for admission to MBBS course, a candidate must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology (or Botany and Zoology)/Biotechnology and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry and Biology (or Botany and Zoology)/Biotechnology at the qualifying examination as mentioned in clause (2) of Regulation 4 and in addition must have come in the merit list of "National Eligibility-cum-Entrance Test" for admission to MBBS course. In respect

of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other Backward Classes the minimum marks obtained in Physics, Chemistry and Biology (or Botany and Zoology)/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 40% instead of 50%. In respect of candidates with specified disability under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 the minimum marks in qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 45% instead of 50%.

Provided that a candidate who has appeared in the qualifying examination the result of which has not been declared, he/she may be provisionally permitted to take up the National Eligibility-cum-Entrance Test and in case of selection for admission to the MBBS course, he/she shall not be admitted to that course until he fulfils the eligibility criteria under Regulation 4.

5% of the annual sanctioned intake capacity in Government or Government aided higher educational institutions shall be filled up by candidates with benchmark disabilities in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, based on the merit list of 'National Eligibility-cum-Entrance Test'. For this purpose the "Specified Disability" contained in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 is annexed in Appendix 'G' and the eligibility of candidates to pursue a course in medicine with specified disability shall be in accordance with Appendix 'H'. If the seats reserved for the persons with disabilities in a particular category remain unfilled on account of unavailability of candidates, the seats shall be included in the annual sanctioned seats for the respective Category.

3 In the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", after 7th row of Appendix-'F', the following row shall be added as under:

Sl. No.	Schedule for Admission	Central Co	State	
110.		All India Quota	Deemed + CI	Counseling
7A.	Commencement of Academic Session		1 st August	

Dr. SANJAY SHRIVASTAVA, Secy. General

[ADVT.-III/4/Exty./525/18]

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Regulations on Graduate Medical Education, 1997" were published in Part–III, Section (4) of the Gazette of India vide Medical Council of India notification dated 4th March, 1997, and amended *vide* MCI notifications dated 29/05/1999, 02/07/2002, 30/09/2003, 16/10/2003, 01/03/2004, 20/10/2008, 15/12/2008, 22/12/2008, 25/03/2009, 19/04/2010, 07/10/2010, 21/12/2010, 15/02/2012, 29/12/2015, 05/08/2016, 21/09/2016, 10/03/2017, 04/07/2017, 23/01/2018, 06/02/2018 & 21/05/2018.

Appendix "H"

Guidelines regarding admission of students with "Specified Disabilities" under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 with respect to admission in MBBS

Note 1. The "Certificate of Disability" shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 notified in the Gazette of India by the by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on 15th June 2017.

- 2. The extent of "specified disability" in a person shall be assessed in accordance with the "Guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)" notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on 4th January 2018.
- 3. The minimum degree of disability should be 40% (Benchmark Disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.
- 4. The term 'Persons with Disabilities' (PwD) is to be used instead of the term 'Physically Handicapped' (PH)

Sl.	J 1		Disability Range			
No.	Туре			Eligible for Medical Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Medical Course
1.	Physical Disability	A. Locomotor Disability,	a. Leprosy cured person*	Less than 40% disability	40-80% disability	More than 80%

		including	h Canal 1 D-1 - 44				
		Specified	b. Cerebral Palsy**				
		Disabilities (a to f).	c. Dwarfism				
			d. Muscular Dystrophy				
			e. Acid attack victims				
			f. Others*** such as Amputation, Poliomyelitis, etc.				
			* Attention should be p well as involvement of e				
			** Attention should be and corresponding recor			cognitive function etc.	
			*** Both hands intact, v			nd range of motion are	
		B. Visual	a. Blindness	Less than 40%		Equal to or More	
		Impairment (*)	b. Low vision	disability (i.e. Category '0 (10%)', 'I (20%)' & 'II (30%')	-	than 40% Disability (i.e. Category III and above)	
		C. Hearing	a. Deaf	Less than 40%		Equal to or more	
		impairment@	b. Hard of hearing	Disability	-	than 40% Disability	
			(*) Persons with Visual impairment / visual disability of more than 40% may be made eligible to pursue Graduate Medical Education and may be given reservation, subject to the condition that the visual disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with advanced low vision aids such as telescopes / magnifier etc.				
			@ Persons with hearing disability of more than 40% may be made eligible to pursue Graduate Medical Education and may be given reservation, subject to the condition that the hearing disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with the aid of assistive devices.				
			In addition to this, the individual should have a speech discrimination score of more than 60%.				
		D. Speech & language disability\$	Organic/ neurological causes	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability	
		exceed 3 (Which individuals beyond Persons with an Ap	will correspond to less this score will not be eligi phasia Quotient (AQ) upto	than 40%) to be ible for admission o 40% may be eli	course the Speech Intelligibility Affected (SIA) score shall not man 40%) to be eligible to pursue the MBBS course. The le for admission to the MBBS course. 40% may be eligible to pursue MBBS course but beyond that		
		they will neither be	eligible to pursue the MB	ı			
2.	Intellectual disability		a. Specific learning disabilities (Perceptual	# currently there is no Quantification scale available to assess the severity of SpLD, therefore the cut-off of 40% is arbitrary and more evidence is needed.			
		Dyscalcul Dyspraxia Developm	disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental aphasia)#	Less than 40% Disability	Equal to or more than 40% disability But selection will be based on the	More than 80% or severe nature or significant cognitive/ intellectual disability	
					learning competency evaluated with the help of the remediation/		
					assisted technology/ aids/ infrastructural changes by the Expert Panel		

			b. Autism spectrum disorders	Absence or Mild Disability, Asperger syndrome (disability of 40-60% as per ISAA) where the individual is deemed fit for MBBS course by an expert panel	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/or if the person is deemed unfit for pursuing MBBS course by an expert panel
3.	Mental behaviour		Mental illness	Absence or mild Disability: less than 40% (under IDEAS)	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 40% disability or if the person is deemed unfit to perform his/her duties. Standards may be drafted for the definition of "fitness to practice medicine", as are used by several institutions of countries other than India.
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neurological Conditions	i. Multiple Sclerosis ii. Parkinsonism	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
		b. Blood Disorders	i. Haemophilia ii. Thalassemia iii. Sickle cell disease	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
5.	Multiple disabilities including deaf blindness		More than one of the above specified disabilities	recommendation namely, Visual Intellectual Disa Multiple Disabil Combining For Notification issu (where a= high disability % as of is recommended more than one individual. This disabilities, and	rmula as notified by the Govt. of India $\frac{a+b (90-a)}{90}$ er value of disability % calculated for different d d for computing the d disabling condition i formula may be used recommendations regarde as per the specific d	and b=lower value of isability arising when s present in a given in cases with multiple ding admission and/or